

कार्यालय वनमंडल अधिकारी, पश्चिम बैतूल (सा.) वनमंडल

आकाशवाणी रोड़, बैतूल (मध्य प्रदेश)

कार्या.फोन नं. (07141)234708 E-mail - dfotwbetul@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./
प्रति,

4873

बैतूल,दिनांक 29/12/2021

कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-23
59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन भोपाल

विषय :- जिला होशंगाबाद, बैतूल एवं हरदा के अंतर्गत मोरण्ड गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण में वनमंडल होशंगाबाद, उत्तर बैतूल, पश्चिम बैतूल एवं हरदा की 2371.14 हे. वनभूमि नर्मदा विकास प्राधिकारण को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ :- 1.अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/ए-3 /16/2018 /10-11/3383 दि.07/10/2021 एवं 3901 दिनांक 23/11/2021
2.मुख्य वनसंरक्षक, बैतूल का पत्र पृ.क्र./मा.चि./4071 दिनांक 11/10/2021
3.कार्यालयीन का पत्र क्रमांक/मा.चि./2021/467 दिनांक 08/03/2019
4.परिक्षेत्राधिकारी, गवासेन का पत्र क्रमांक/1364 दिनांक 24/12/2021

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र.भोपाल के संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि मोरण्ड गंजाल संयुक्त परियोजना से प्रभावित वनक्षेत्र के लिये वन व्यपवर्तन प्रकरण में वनमंडल स्तर से भाग-2 की ऑन लाईन पूर्ति हेतु मौके पर वृक्षों की गणना एवं संयुक्त स्थल निरीक्षण के संबंध में परिक्षेत्राधिकारी, गवासेन (सा.) का प्रतिवेदन वनमंडल कार्यालय को प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार आवेदित स्थल की लगभग 02 वर्ष पूर्व की गई मार्किंग स्पष्ट नहीं होने के कारण खड़े वृक्षों की गणना का कार्य नहीं किया जा पा रहा है। उक्त आवेदित वनक्षेत्र में एरियल/फील्ड सर्वे की अनुमति मुख्य वनसंरक्षक, बैतूल के पत्र क्रमांक/मा.चि./490 दिनांक 04/03/2020 (छायाप्रति संलग्न है)से आपको दी जा चुकी है। आवेदक विभाग से प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने के कारण वृक्षों की गणना एवं संयुक्त स्थल निरीक्षण कार्य नहीं किया जा सका है।

अतः आवेदित कक्षों का संयुक्त स्थल निरीक्षण एवं खड़े वृक्षों की गणना का कार्य वन विभाग के संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के साथ किये जाने हेतु संबंधित अधिकारी /कर्मचारी को निर्देशित करे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

पृ.क्र./मा.चि./
प्रतिलिपि :-

- 4874
1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र.भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
 2. मुख्य वनसंरक्षक बैतूल वृत्त बैतूल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
 3. उपवनमंडलाधिकारी, चिचोली (सा.)की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
 4. परिक्षेत्राधिकारी, गवासेन (सा.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक. कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमंडलाधिकारी,
पश्चिम बैतूल(सा.)वनमंडल
बैतूल,दिनांक 29/12/2021

वनमंडलाधिकारी,
पश्चिम बैतूल(सा.)वनमंडल